कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
जन स्वास्थ्य विभाग
एन.आई.टी.

कार्य का नाम :– स्वच्छ सर्वेक्षण 2023–24 की तैयारियां हेतु वॉल पेंट, स्लोगन एवं चित्र बनाने का कार्य के संबंध में।

क्र.	कार्य का विवरण	साईज	प्रति स्केयर फिट दर अंको में	प्रतिनग स्केयर फिट दर शब्दों में
1	वॉल पेंट, स्लोगन लिखायी कार्य	7000 स्केयर फिट		
2	वॉल पेंट, स्लोगन एवं चित्र बनाने सहित कार्य	10000 स्केयर फिट		
3	109 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय में वॉल पेंट, स्लोगन एवं चित्र बनाने का कार्य प्रति शौचालय 180 स्केयर फिट	19620 स्केयर फिट		
	कुल राशि			

संलग्न :– नियम शर्ते

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वॉल पेंटिंग, स्लोगन लिखायी कार्य, स्लोगन एवं चित्र बनाने सहित कार्य, समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में वॉल पेंटिंग, स्लोगन एवं चित्र बनाने का कार्य एवं अन्य कार्य हेतु नियम व शर्ते :–

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाता को उक्त कार्य के संबंध में अपना अनुभव एवं इस प्रकार के किये गये कार्य का फोटोग्राफ्स आदि प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदादाता को उक्त कार्य ऑयल पेंट से करना होगा।
4. निविदादाता को सामग्री सहित दर प्रति स्केयर फीट में देना होगा।
5. निविदादाता को पृथक–पृथक कार्य का दर अलग–अलग देना होगा।
   ए. वॉल पेंट एवं स्लोगन लिखायी कार्य –
   बी. वॉल पेंट, स्लोगन एवं चित्र बनाने सहित कार्य –
6. निगम द्वारा उक्त कार्य सभी जोन में कराया जावेगा, इसलिए निविदादाता को प्रत्येक जोन में अलग–अलग पेंटर के माध्यम से कार्य कराना होगा।
7. निविदादाता के कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक होने पर पुनः सुधार कर पेंटिंग कार्य करना होगा।
8. निविदादाता स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित स्लोगन एवं चित्र आदि का प्रारुप निगम से दिया जावेगा। यदि निविदादाता के डिजाईन अच्छे होने की स्थिति में उस डिजाईन के भी वॉल पेंटिंग कार्य कराये जायेंगे।
9. निविदादाता को नगद भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होगा। किये गये कार्य का देयक प्रस्तुत करना होगा।
10. अनुबंधित एजेंसी के द्वारा किये गये कार्यो का सत्यापन जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किये जाने के उपरांत भुगतान किया जावेगा।
11. समय–समय आवश्यकतानुसार न्युनतम दरदाता से उक्त कार्य कराया जावेगा। समयावधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि किया जा सकता है।
12. किये गये समस्त कार्यो का लोकेशन फोटोग्राफ्स (जीयोटैग) देयक बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसके पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
13. समस्त कर सहित दर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदन पत्र के साथ वाणिज्य कर, कार्यालय का पंजीयन प्रामण–पत्र, संस्था किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं है के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा।
16. ऑफरकर्ता न्यूनतम दरदाता से अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जावेगा, आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि किया जावेगा।
17. धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त के नाम पर एफ.डी.आर. लिफाफा ''क'' में प्रस्तुत करना होगा तथा निविदा दर लिफाफा ''ख'' में प्रस्तुत करना होगा, उक्त दोनो लिफाफा दस्तावेज सहीत बड़ा लिफाफा ''ग'' में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई (स्वास्थ्य विभाग) के पते पर निर्धारित समयानुसार प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा दर नहीं खोला जायेगा।

18. राशि रु. 13,100.00 का अमानत राशि का एफ.डी.आर. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
19. जी.एस.टी. का जीवित प्रमाण पत्र पंजीयन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं पात्र निविदाकर को जी.एस.टी. बील प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।
20. निविदा स्वीकृति उपरांत पात्र निविदाकार को 100.00 रूपये के स्टॉम्प में नगर पालिक निगम भिलाई के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात कार्यादेश जारी किया जावेगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
22. निविदा स्वीकृति या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई